165

कोर्ट फी COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE 10रु. Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर(म0प्र0)

R - 2001-II/16

कुंजी वल्द चेतू आदिवासी
निवासी- ग्राम-बदोना,
तह0व जिला-सागर(म0प्र0) ....आवेदक

श्री दिलीप गोस्वामी ES द्वारा आज दि. 23-6-16 को प्रस्तुत
23-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा-कलेक्टर,सागर(म0प्र0) ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला सागर के प्र0क्र0 74-बी/121/2011-12 दिनाँक 03.05.2012 में किये गये आदेशित से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक की ग्राम बदौना प0ह0नं0 51 ख0नं0 832एवं 833 रकवा क्रमशः 0.50हे0एवं0.30हे0कुल 0.80हे0भूमि को विक्रय हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वह जाति से आदिवासी है, वृद्ध है जिस कारण से उसकी शारिरिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह अपनी उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है इस कारण से वह अपनी भूमि को भगाई पर अन्य व्यक्ति को दे देता है किंतु भूमि पर उतनी उपज न होने से वह अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से नही कर पा रहा है जिस कारण वह अपनी भूमि का विक्रय कर इस वृद्धावस्था में अपने ही घर पर छोटा सा व्यवसाय करके अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के उक्त आवेदन पर दिनाँक 03.05.2012 को प्रकरण तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार जाँच कर प्रतिवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने हेतु निर्देशित किया, जिस पर तहसीलदार महोदय ने कलेक्टर के आदेश के पालन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में इश्तहार जारी करने एवं पटवारी

R-2001-I/16 (आगरा)

21.7.16.	प्रकरण की अवलोकन किया। [illegible] प्रकरण [illegible] की [illegible] [illegible] किया। [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] पाया जाता [illegible] premature [illegible] प्रकरण [illegible] [illegible] इस स्तर पर [illegible] है। [illegible] की जाती है। पत्रावली [illegible] हो। [illegible]
[illegible]	